न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 52 / 2021

1 नरेन्द्र सिंह उम्र 23 साल पुत्र स्व. मोहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 मोहनी देवी आयु 55 साल पत्नी स्व. मोहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 सुभाषचन्द्र पुत्र बिड़दुराम उम्र 37 साल जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 विनोद कुमार पुत्र श्रीचन्द उम्र 32 साल जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 श्रीराम पुत्र स्व. धर्मपाल उम्र 48 साल जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
4 नरोतमलाल पुत्र स्व. बजरंगलाल उम्र 30 साल जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
5 राकेश भास्कर पुत्र स्व. बजरंगलाल उम्र 28 साल जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
6 मनकोरी पत्नी स्व. कुरड़ाराम उम्र 83 साल जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
7 राजेश पुत्र स्व. सुरजाराम उम्र 40 साल जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
8 कमलेश पुत्र स्व. सुरजाराम उम्र 38 साल जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
9 प्रभाती पत्नी स्व. सुरजाराम उम्र 82 साल जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
10 सुशीला पत्नी नेमीचन्द पुत्री प्रभात उम्र 45 साल जाति जाट निवासी नाहरसिंघानी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

11 छोटू पुत्र स्व. गीदाराम उम्र 55 साल जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
12 ओमप्रकाश पुत्र किशोर उम्र 25 साल जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
13 महेन्द्र सिंह पुत्र श्रीचन्द उम्र 47 साल जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
14 रामप्यारी पत्नी स्व. श्रीचन्द उम्र 65 साल जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
15 राजेन्द्र पुत्र स्व. बिड़दुराम उम्र 35 साल जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
16 नीमा देवी पत्नी स्व. बिड़दूराम उम्र 60 साल जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
17 शाखा प्रबधन्क एसबीआई एडीबी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
18 शाखा प्रबधन्क बैंक ऑफ बड़ौदा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
19 शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
20 शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
21 शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
22 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
उनवानी मुकदमा श्रीराम बनाम नरेन्द्र कुमार आदि मु.नं.
209/2018 व उनवानी मुकदमा सुभाषचन्द्र बनाम श्रीराम
आदि मु.नं. 59/2019 अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम निर्णय दिनांक 13.07.2021

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ... सीकर

अपील संख्या 98/2021

1 1 सुभाषचन्द्र पुत्र बिड़दुराम उम्र 37 साल जाति जाट निवासी ग्राम आदर्श नगर, तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 श्रीराम पुत्र स्व धर्मपाल उम्र 48 साल
2 नरोतम लाल पुत्र स्व. बजरंग उम्र 30 साल
3 राकेश भास्कर पुत्र स्व. बजरंग उम्र 28 साल
4 नरेन्द्र पुत्र स्व. मोहरसिंह उम्र 20 साल
5 मोहनी पत्नी स्व. मोहरसिंह उम्र 60 साल
6 मनकोरी पत्नी स्व. कुरड़ाराम उम्र 83 साल
7 राजेश पुत्र स्व. सुरजाराम उम्र 40 साल
8 कमलेश पुत्र स्व. सुरजाराम उम्र 38 साल
9 प्रभाती पत्नी स्व. सुरजाराम उम्र 82 साल
समस्त जाति जाट निवासीगण आदर्श नगर तन ग्राम धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
10 सुशिला पत्नी नेमीचन्द पुत्री प्रभात उम्र 45 साल जाति जाट निवासी नाहर सिंघानी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
11 छोटू पुत्र स्व. गीदाराम उम्र 55 साल
12 ओमप्रकाश पुत्र किशोर उम्र 25 साल
13 महेन्द्र सिंह पुत्र श्रीचन्द उम्र 47 साल
14 रामप्यारी पत्नी स्व. श्रीचन्द उम्र 65 साल
15 राजेन्द्र पुत्र स्व. बिड़दूराम उम्र 35 साल
16 नीमा देवी पत्नी स्व. बिड़दूराम उम्र 60
जाति जाट निवासीगण आदर्श नगर तन ग्राम धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
17 विनोद कुमार पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासीगण आदर्श नगर तन ग्राम धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भू-प्रबन्ध • सीकर •

18 शाखा प्रबन्धक एसबीआई एडीबी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
19 शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
20 शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
21 शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
22 शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
23 तहसीलदार महोदय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 225 राज. काश्त. अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.07.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी सुभाषचन्द्र वगै. बनाम श्रीराम व अन्य मु.नं. 59/2019 बाबत धारा 251 ए राज. काश्त. अधि. 2012 के तहत रास्ता कायम करवाने।

उपस्थिति :

1. श्री राजकुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री नवीन सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 18/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 209/2018, 59/2019 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण ने दो प्रार्थना पत्र बउनवानी श्रीराम बनाम नरेन्द्र आदि व सुभाषचन्द्र आदि बनाम श्रीराम वगै. बाबत कायम करने रास्ता अ.धारा 251 ए राज. काश्त. संशोधन अधिनियम 2012 के तहत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायायल में पेश किया जिनको दिनांक 23.02.2021 के आदेश द्वारा समेकित किया गया कि गांव आदर्श नगर पटवार धमोरा की भूमि खसरा नम्बर 703 रकबा 1.59, खसरा नम्बर 704, रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 722 रकबा 1.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 रकबा 0.64 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.59 हैक्टेयर भूमि बताकर तथा भूमि खसरा नम्बर 703 में स्वयं के मकान व खसरा नम्बर 704 में कुआ बनाकर काश्त करना बताया तथा उक्त प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस ने भूमि खसरा नम्बर 722 में जाने के लिए रेस्पोडेन्ट को अपने आवास से पश्चिम की ओर भूमि खसरा नम्बर 726 रकबा .97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 725 रकबा 1.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 724 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 723 रकबा 0.69 हैक्टेयर के बीचो बीच में से होकर आना–जाना बताया तथा प्रार्थना पत्र के साथ एक नजरी नक्शा पेश किया जिसमें से क से ख 4 मीटर चौड़ा रास्ता की मांग की। रेस्पोडेन्टस द्वारा भूमि खसरा नम्बर 722 से होकर जाना बताया तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकी देना बताकर तथा अपीलान्ट की भूमि से निम्न प्रकार रास्ते की मांग की कि संलग्न नक्शे क से ख रास्ता जो भूमि खसरा नम्बर 723 लगायत 726 के बीचो बीच पूर्व से पश्चिम होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 722 में प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में आता है, में से 4 मीटर चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे व राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावें। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.07.2021 को अपने आदेश द्वारा दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 722, 723, 724, 725, 726 में आवागमन हेतु पत्रावली पर मौजुद फर्द मौका पर्चा दिनांक 07.04.2021 में प्रस्तावित किए गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थीगण रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले भूमि/डीएलसी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दर की दुगुनी राशि को तहसीलदार उदयपुरवाटी के पास जमा करवाये एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डीएलसी दर की दुगुनी राशि को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है, को नियमानुसार भुगतान करें। जमीन के बदले जमीन देवे तथा उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। फर्द मौका पर्चा रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 07.04.2021 इस आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगी आदि आदि। इससे व्यथित होकर यह अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 712, 714, 715 में से होकर रास्ता कायम किया है जबकि भूमि खसरा नम्बर 714 गांव आदर्श नगर एक गै.मु. आबादी की भूमि है तथा धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान मात्र काश्त की भूमि पर ही लागू किये जा सकते है। आबादी की भूमि पर धारा 251 ए के तहत रास्ता कायम करने का क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय के पास नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 712 गांव आदर्श नगर में शुरू से ही दक्षिण की ओर से रास्ता कटान का कायम किया हुआ है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 07.04.2021 को फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करना बताया है जबकि उक्त फर्द मौका रिपोर्ट बाबत अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को न तो कभी कोई सूचना दी गई और न ही मौके पर कभी बुलाया गया और ना ही फर्द मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट के कोई हस्ताक्षर है, मातहत कर्मचारियों के द्वारा तैयार की गई फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर कानूनन रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने दो प्रकरणों का समायोजन करते हुए एक ही आदेश में प्रकरण संख्या 209/2019 के प्रार्थी के पक्ष मे तो फैसला कर दिया और प्रार्थी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। बस खसरा नम्बर 712, 714, 715 में से होकर रास्ता कायम किया है जबकि भूमि खसरा नम्बर 714 गांव आदर्श नगर एक गैर मुमकिन आबादी की भूमि है तथा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2012 के प्रावधान मात्र काश्त की भूमि पर ही लागू किए जा सकते है। आबादी की भूमि पर धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2012 के तहत राजस्व कायम करने का क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय के पास नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 706 की खातेदारी वर्तमान जमाबंदी संवत

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2075–78 में खातेदारी नन्दलाल पुत्र मोहन जाति जाट के नाम दर्ज है। उक्त विवादित आदेश द्वारा खसरा नम्बर 706 की भी 136 मीटर भूमि रास्ते में शामिल की गई है। जबकि रास्ता कायम करने से पहले उक्त खसरा के खातेदार को ना तो प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया और न ही सुनवाई का मौका दिया जो प्रार्थना पत्र न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ है। बिना नोटिस दिए और जो प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है। उस व्यक्ति के खिलाफ किस प्रकार आदेश पारित किया जा सकता है। भूमि खसरा नम्बर 722 व 726 में जाने के लिए सबसे लघुत्तम व निकटतम रास्ता कृषि भूमि खसरा नम्बर 703 व 704 में से देना उपर्युक्त है जिसको नजरअन्दाज कर गलत स्थान पर रास्ता कायम करने में प्रार्थीगण को करीब 1 किलोमीटर घुमकर आना पड़ता है जो लघुत्तम व निकटतम रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने आवेदन पत्र के साथ एक नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है जिसमें आवेदक ने क से ख स्थान से रास्ता चाहे जाने की सिद्धी चाही है लेकिन विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.07.2021 में खसरा नम्बर 712, 714, 715 में से जो आबादी भूमि की है में से 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करने का निर्णय पारित किया है जो रेस्पोडेन्ट द्वारा चाही गई सिद्धी के विपरित होने से भी खारिज होने योग्य है। विवादित दो अलग–अलग प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने से विचारण न्यायालय ने दोनों प्रार्थना पत्रों को एक साथ समेकित करने से प्रार्थी के साथ न्याय नहीं हुआ है और दोनों प्रार्थना पत्रों के खातेदार/प्रार्थीगण अलग–अलग दिशा में रास्ता चाहते है जो न्यायालय द्वारा गलत तरीके से समेकित किया गया है जो काबिले निरस्त है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए प्रस्तुत कर ग्राम आदर्शनगर पटवार हल्का धमोरा तहसील उदयपुरवाटी की भूमि खसरा नम्बर 722, 723, 724, 725, 726 में आवागमन हेतु रास्ता चाहा है। प्रस्तुत प्रकरण में पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का के साथ मौका निरीक्षण कर मौका पर्चा दिनांक 07.04.2021 को तैयार किया गया है। जिसके अनुसार चाहा गया रास्ता खसरा नम्बर 712, 714, 715 से निकटतम दूरी पर है। खसरा नम्बर 714 में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ता कटानी रास्ते खसरा नम्बर 1862/711

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

से मिलता है। पूर्व में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 14.03.2019 पर अप्रार्थी द्वारा आपत्ति करने पर पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट दिनांक 07.04.2021 को तैयार की गई है। आवेदक के पास वैकल्पिक रास्ता होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। आवेदक को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए प्रस्तुत कर ग्राम आदर्शनगर पटवार हल्का धमोरा तहसील उदयपुरवाटी की भूमि खसरा नम्बर 722, 723, 724, 725, 726 में आवागमन हेतु रास्ता चाहा है। प्रस्तुत प्रकरण में पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का के साथ मौका निरीक्षण कर मौका पर्चा दिनांक 07.04.2021 को तैयार किया गया है। जिसके अनुसार चाहा गया रास्ता खसरा नम्बर 712, 714, 715 से निकटतम दूरी पर है। खसरा नम्बर 714 में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ता कटानी रास्ते खसरा नम्बर 1862/711 से मिलता है। पूर्व में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 14.03.2019 पर अप्रार्थी द्वारा आपत्ति करने पर पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट दिनांक 07.04.2021 को तैयार की गई है। आवेदक के पास वैकल्पिक रास्ता होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। आवेदक को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (सीकर झुन्झुनू)

निर्णय आज दिनांक 18/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर